

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 जनवरी 2010—पौष 14, शक 193

गृह विभाग
(सी-अनुभाग)
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
आदेश

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिये लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिये सक्रिय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, अशोकनगर की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, अशोकनगर यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 जनवरी 2010 से 31 मार्च 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

पृ. क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1, भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

ORDER

Bhopal, the 4th January 2010

F. No. 31-5-1998-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and to commit acts prejudicial to the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Ashoknagar** the State Government is satisfied that it is necessary so to do;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Ashoknagar** may during the period from 1st January, 2010 to 31st March 2010, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 जनवरी 2010—पौष 14, शक 1931

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिये लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिये सक्रिय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, अनूपपुर की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, अनूपपुर यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 जनवरी 2010 से 31 मार्च 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

पृ. क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1, भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

ORDER

Bhopal, the 4th January 2010

F. No. 31-5-1998-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and to commit acts prejudicial to the security of the State;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Anuppur** the State Government is satisfied that it is necessary so to do;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Anuppur** may during the period from 1st January, 2010 to 31st March 2010, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र. - 108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 जनवरी 2010—पौष 14, शक 1931

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिये लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिये सक्रिय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, अलीराजपुर की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, अलीराजपुर यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 जनवरी 2010 से 31 मार्च 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

पृ. क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1, भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

ORDER

Bhopal, the 4th January 2010

F. No. 31-5-1998-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and to commit acts prejudicial to the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Alirajpur** the State Government is satisfied that it is necessary so to do;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Alirajpur** may during the period from 1st January, 2010 to 31st March 2010 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 जनवरी 2010—पौष 14, शक 1931

गृह विभाग
(सी-अनुभाग)
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिये लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिये सक्रिय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, भोपाल की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, भोपाल यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 जनवरी 2010 से 31 मार्च 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

पृ. क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1, भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

ORDER

Bhopal, the 30th September 2009

F. No. 31-5-1998-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and to commit acts prejudicial to the security of the State;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Bhopal** the State Government is satisfied that it is necessary so to do;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Bhopal** may during the period from 1st January, 2010 to 31st March 2010 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh.

VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11].

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 जनवरी 2010—पौष 14, शक 1931

गृह विभाग
(सी-अनुभाग)
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
आदेश

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिये लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिये सक्रिय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, भिण्ड की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, भिण्ड यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 जनवरी 2010 से 31 मार्च 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

पृ. क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1, भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

ORDER

Bhopal, the 4th January 2010

F. No. 31-5-1998-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and to commit acts prejudicial to the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Bhind** the State Government is satisfied that it is necessary so to do;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Bhind** may during the period from 1st January, 2010 to 31st March 2010 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 जनवरी 2010—पौष 14, शक 1931

गृह विभाग
(सी-अनुभाग)
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
आदेश

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010.

क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिये लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिये सक्रिय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, बालाघाट की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, बालाघाट यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 जनवरी 2010 से 31 मार्च 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

पू. क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1, भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

ORDER

Bhopal, the 4th January 2010

F. No. 31-5-1998-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and to commit acts prejudicial to the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Balaghat** the State Government is satisfied that it is necessary so to do;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Balaghat** may during the period from 1st January, 2010 to 31st March 2010 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 जनवरी 2010—पौष 14, शक 1931

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिये लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिये सक्रिय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, बैतूल की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, बैतूल यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 जनवरी 2010 से 31 मार्च 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

पृ. क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1, भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

ORDER

Bhopal, the 4th January 2010

F. No. 31-5-1998-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and to commit acts prejudicial to the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Betul** the State Government is satisfied that it is necessary so to do;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980) the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Betul** may during the period from 1st January 2010 to 31st March 2010 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 जनवरी 2010—पौष 14, शक 1931

गृह विभाग
(सी-अनुभाग)
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

क्र. एफ-31-5-1998-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिये लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिये सक्रिय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, **बड़वानी** की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, **बड़वानी** यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 जनवरी 2010 से 31 मार्च 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

पृ. क्र. एफ-31-5-1998-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. एफ-31-5-1998-सी-1, भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

ORDER

Bhopal, the 4th January 2010

F. No. 31-5-1998-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and to commit acts prejudicial to the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Barwani** the State Government is satisfied that it is necessary so to do;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Barwani** may during the period from 1st January, 2010 to 31st March 2010 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिबीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 जनवरी 2010—पौष 14, शक 1931

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

क्र. एफ-31-5-1998-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिये लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिये सक्रिय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, **बुरहानपुर** की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, **बुरहानपुर** यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 जनवरी 2010 से 31 मार्च 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

पृ. क्र. एफ-31-5-1998-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. एफ-31-5-1998-सी-1, भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

ORDER

Bhopal, the 4th January 2010


F. No. 31-5-1998-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and to commit acts prejudicial to the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Burhanpur** the State Government is satisfied that it is necessary so to do;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Burhanpur** may during the period from 1st January, 2010 to 31st March 2010 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 जनवरी 2010—पौष 14, शक 1931

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिये लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिये सक्रिय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, छतरपुर की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, छतरपुर यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 जनवरी 2010 से 31 मार्च 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

पृ. क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1, भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

ORDER

Bhopal, the 4th January 2010

F. No. 31-5-1998-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and to commit acts prejudicial to the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Chhatarpur** the State Government is satisfied that it is necessary so to do;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Chhatarpur** may during the period from 1st January, 2010 to 31st March 2010 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजापत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 जनवरी 2010—पौष 14, शक 1931

गृह विभाग
(सी-अनुभाग)
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
आदेश

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

क्र. एफ-31-5-1998-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिये लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिये सक्रिय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, छिंदवाड़ा की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, छिंदवाड़ा यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 जनवरी 2010 से 31 मार्च 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

पृ. क्र. एफ-31-5-1998-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. एफ-31-5-1998-सी-1, भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

ORDER

Bhopal, the 4th January 2010

F. No. 31-5-1998-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and to commit acts prejudicial to the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Chhindwara** the State Government is satisfied that it is necessary so to do;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Chhindwara** may during the period from 1st January, 2010 to 31st March 2010 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 जनवरी 2010—पौष 14, शक 1931

गृह विभाग
(सी-अनुभाग)
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

क्र. एफ-31-5-1998-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिये लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिये सक्रिय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, दतिया की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, दतिया यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 जनवरी 2010 से 31 मार्च 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

पृ. क्र. एफ-31-5-1998-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. एफ-31-5-1998-सी-1, भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

ORDER

Bhopal, the 4th January 2010

F. No. 31-5-1998-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and to commit acts prejudicial to the security of the State;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Dafia** the State Government is satisfied that it is necessary so to do;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Dafia** may during the period from 1st January, 2010 to 31st March 2010 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 जनवरी 2010—पौष 14, शक 1931

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

क्र. एफ-31-5-1998-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिये लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिये सक्रिय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, दमोह की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, दमोह यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 जनवरी 2010 से 31 मार्च 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

पृ. क्र. एफ-31-5-1998-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. एफ-31-5-1998-सी-1, भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

ORDER

Bhopal, the 4th January 2010

F. No. 31-5-1998-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and to commit acts prejudicial to the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Damoh** the State Government is satisfied that it is necessary so to do;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Damoh** may during the period from 1st January, 2010 to 31st March 2010 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 जनवरी 2010—पौष 14, शक 1931

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिये लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिये सक्रिय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, देवास की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, देवास यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबन्धित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 जनवरी 2010 से 31 मार्च 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

पू. क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1, भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

ORDER

Bhopal, the 4th January 2010

F. No. 31-5-1998-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and to commit acts prejudicial to the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Dewas** the State Government is satisfied that it is necessary so to do;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Dewas** may during the period from 1st January, 2010 to 31st March 2010 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 जनवरी 2010—पौष 14, शक 1931

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिये लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिये सक्रिय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, धार की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, धार यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 जनवरी 2010 से 31 मार्च 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

पृ. क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1, भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

ORDER

Bhopal, the 4th January 2010

F. No. 31-5-1998-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and to commit acts prejudicial to the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Dhar** the State Government is satisfied that it is necessary so to do;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Dhar** may during the period from 1st January, 2010 to 31st March 2010 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 जनवरी 2010—पौष 14, शक 1931

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिये लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिये सक्रिय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, डिण्डौरी की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, डिण्डौरी यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 जनवरी 2010 से 31 मार्च 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

पृ. क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1, भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

ORDER

Bhopal, the 4th January 2010

F. No. 31-5-1998-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and to commit acts prejudicial to the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Dindori** the State Government is satisfied that it is necessary so to do;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Dindori** may during the period from 1st January, 2010 to 31st March 2010 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 जनवरी 2010—पौष 14, शक 1931

गृह विभाग
(सी-अनुभाग)
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
आदेश
भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिये लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिये सक्रिय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, गुना की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, गुना यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 जनवरी 2010 से 31 मार्च 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1, भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

ORDER

Bhopal, the 4th January 2010

F. No. 31-5-1998-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and to commit acts prejudicial to the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Guna** the State Government is satisfied that it is necessary so to do;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Guna** may during the period from 1st January, 2010 to 31st March 2010, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 जनवरी 2010—पौष 14, शक 1931

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिये लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिये सक्रिय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, ग्वालियर की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, ग्वालियर यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 जनवरी 2010 से 31 मार्च 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1, भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

ORDER

Bhopal, the 4th January 2010

F. No. 31-5-1998-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and to commit acts prejudicial to the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Gwalior** the State Government is satisfied that it is necessary so to do;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Gwalior** may during the period from 1st January, 2010 to 31st March 2010, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 जनवरी 2010—पौष 14, शक 1931

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिये लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिये सक्रिय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, होशंगाबाद की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, होशंगाबाद यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 जनवरी 2010 से 31 मार्च 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

पृ. क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1, भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

ORDER

Bhopal, the 4th January 2010

F. No. 31-5-1998-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and to commit acts prejudicial to the security of the State;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Hoshangabad** the State Government is satisfied that it is necessary so to do;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Hoshangabad** may during the period from 1st January, 2010 to 31st March 2010 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल-डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 जनवरी 2010—पौष 14, शक 1931

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

क्र. एफ-31-5-1998-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिये लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिये सक्रिय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, हरदा की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, हरदा यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 जनवरी 2010 से 31 मार्च 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

पू. क्र. एफ-31-5-1998-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. एफ-31-5-1998-सी-1, भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

ORDER

Bhopal, the 4th January 2010

F. No. 31-5-1998-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and to commit acts prejudicial to the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Harda** the State Government is satisfied that it is necessary so to do;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Harda** may during the period from 1st January, 2010 to 31st March 2010 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 जनवरी 2010—पौष 14, शक 1931

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

क्र. एफ-31-5-1998-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिये लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिये सक्रिय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, जबलपुर की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, जबलपुर यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 जनवरी 2010 से 31 मार्च 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

पृ. क्र. एफ-31-5-1998-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. एफ-31-5-1998-सी-1, भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

ORDER

Bhopal, the 4th January 2010

F. No. 31-5-1998-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and to commit acts prejudicial to the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Jabalpur** the State Government is satisfied that it is necessary so to do;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Jabalpur** may during the period from 1st January, 2010 to 31st March 2010 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 जनवरी 2010—पौष 14, शक 1931

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

क्र. एफ-31-5-1998-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिये लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिये सक्रिय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, झाबुआ की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, झाबुआ यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 जनवरी 2010 से 31 मार्च 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

पू. क्र. एफ-31-5-1998-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. एफ-31-5-1998-सी-1, भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

ORDER

Bhopal, the 4th January 2010

F. No. 31-5-1998-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and to commit acts prejudicial to the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Jhabua** the State Government is satisfied that it is necessary so to do;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Jhabua** may during the period from 1st January, 2010 to 31st March 2010 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 जनवरी 2010—पौष 14, शक 1931

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिये लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिये सक्रिय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, **खण्डवा** की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, **खण्डवा** यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 जनवरी 2010 से 31 मार्च 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

पृ. क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1, भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

ORDER

Bhopal, the 4th January 2010

F. No. 31-5-1998-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and to commit acts prejudicial to the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate; **Khandwa** the State Government is satisfied that it is necessary so to do;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Khandwa** may during the period from 1st January, 2010 to 31st March 2010 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 जनवरी 2010—पौष 14, शक 1931

गृह विभाग
(सी-अनुभाग)
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिये लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिये सक्रिय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, खरगौन की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, खरगौन यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 जनवरी 2010 से 31 मार्च 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

पृ. क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1, भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

ORDER

Bhopal, the 4th January 2010

F. No. 31-5-1998-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and to commit acts prejudicial to the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Khargone** the State Government is satisfied that it is necessary so to do;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Khargone** may during the period from 1st January, 2010 to 31st March 2010 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 जनवरी 2010—पौष 14, शक 1931

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिये लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिये सक्रिय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, कटनी की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, कटनी यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबोधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 जनवरी 2010 से 31 मार्च 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

पृ. क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1, भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

ORDER

Bhopal, the 4th January 2010

F. No. 31-5-1998-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and to commit acts prejudicial to the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Katni** the State Government is satisfied that it is necessary so to do;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Katni** may during the period from 1st January, 2010 to 31st March 2010 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 जनवरी 2010—पौष 14, शक 1931

गृह विभाग
(सी-अनुभाग)
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

क्र. एफ-31-5-1998-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिये लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिये सक्रिय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, मंदसौर की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, मंदसौर यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 जनवरी 2010 से 31 मार्च 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

पृ. क्र. एफ-31-5-1998-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. एफ-31-5-1998-सी-1, भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

ORDER

Bhopal, the 4th January 2010

F. No. 31-5-1998-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and to commit acts prejudicial to the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Mandsaur** the State Government is satisfied that it is necessary so to do;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Mandsaur** may during the period from 1st January, 2010 to 31st March 2010 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 जनवरी 2010—पौष 14, शक 1931

गृह विभाग
(सी-अनुभाग)
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

क्र. एफ-31-5-1998-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिये लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिये सक्रिय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, मुरैना की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, मुरैना यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 जनवरी 2010 से 31 मार्च 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

पृ. क्र. एफ-31-5-1998-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. एफ-31-5-1998-सी-1, भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

ORDER

Bhopal, the 4th January 2010

F. No. 31-5-1998-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and to commit acts prejudicial to the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Morena** the State Government is satisfied that it is necessary so to do;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Morena** may during the period from 1st January, 2010 to 31st March 2010 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 जनवरी 2010—पौष 14, शक 1931

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिये लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिये सक्रिय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, मण्डला की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, मण्डला यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 जनवरी 2010 से 31 मार्च 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

पृ. क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1, भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

ORDER

Bhopal, the 4th January 2010

F. No. 31-5-1998-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and to commit acts prejudicial to the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Mandla** the State Government is satisfied that it is necessary so to do;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Mandla** may during the period from 1st January, 2010 to 31st March 2010 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 जनवरी 2010—पौष 14, शक 1931

गृह विभाग
(सी-अनुभाग)
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
आदेश

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिये लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिये सक्रिय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, नरसिंहपुर की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, नरसिंहपुर यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 जनवरी 2010 से 31 मार्च 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

पृ. क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1, भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

ORDER

Bhopal, the 4th January 2010

F. No. 31-5-1998-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and to commit acts prejudicial to the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Narsinghpur** the State Government is satisfied that it is necessary so to do;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Narsinghpur** may during the period from 1st January, 2010 to 31st March 2010 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 जनवरी 2010—पौष 14, शक 1931

गृह विभाग
(सी-अनुभाग)
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
आदेश

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिये लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिये सक्रिय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, नीमच की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, नीमच यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 जनवरी 2010 से 31 मार्च 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

पृ. क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1, भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

ORDER

Bhopal, the 4th January 2010

F. No. 31-5-1998-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and to commit acts prejudicial to the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Neemuch** the State Government is satisfied that it is necessary so to do;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Neemuch** may during the period from 1st January, 2010 to 31st March 2010 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 जनवरी 2010—पौष 14, शक 1931

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

क्र. एफ-31-5-1998-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिये लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिये सक्रिय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, पन्ना की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, पन्ना यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 जनवरी 2010 से 31 मार्च 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

पृ. क्र. एफ-31-5-1998-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. एफ-31-5-1998-सी-1, भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

ORDER

Bhopal, the 4th January 2010

F. No. 31-5-1998-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and to commit acts prejudicial to the security of the State;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Panna** the State Government is satisfied that it is necessary so to do;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Panna** may during the period from 1st January, 2010 to 31st March 2010 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 जनवरी 2010—पौष 14, शक 1931

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

क्र. एफ-31-5-1998-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिये लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिये सक्रिय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, राजगढ़ की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, राजगढ़ यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 जनवरी 2010 से 31 मार्च 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

पृ. क्र. एफ-31-5-1998-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. एफ-31-5-1998-सी-1, भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

ORDER

Bhopal, the 4th January 2010

F. No. 31-5-1998-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and to commit acts prejudicial to the security of the State;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Rajgarh** the State Government is satisfied that it is necessary so to do;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Rajgarh** may during the period from 1st January, 2010 to 31st March 2010 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 जनवरी 2010—पौष 14, शक 1931

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिये लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिये सक्रिय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, रायसेन की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, रायसेन यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 जनवरी 2010 से 31 मार्च 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

पृ. क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1, भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

ORDER

Bhopal, the 4th January 2010

F. No. 31-5-1998-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and to commit acts prejudicial to the security of the State :

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Raisen** the State Government is satisfied that it is necessary so to do:

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Raisen** may during the period from 1st January, 2010 to 31st March 2010 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र. -108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 जनवरी 2010---पौष 14, शक 1931

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिये लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिये सक्रिय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, रतलाम की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, रतलाम यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 जनवरी 2010 से 31 मार्च 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

पृ. क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1, भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

ORDER

Bhopal, the 4th January 2010

F. No. 31-5-1998-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and to commit acts prejudicial to the security of the State;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Ratlam** the State Government is satisfied that it is necessary so to do;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Ratlam** may during the period from 1st January, 2010 to 31st March 2010 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 जनवरी 2010—पौष 14, शक 1931

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिये लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिये सक्रिय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, रीवा की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, रीवा यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 जनवरी 2010 से 31 मार्च 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

पृ. क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1, भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विजय कटारिया, सचिव.

ORDER

Bhopal, the 4th January 2010

F. No. 31-5-1998-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and to commit acts prejudicial to the security of the State;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, Rewa the State Government is satisfied that it is necessary so to do:

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, Rewa may during the period from 1st January, 2010 to 31st March 2010 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवाजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 जनवरी 2010—पौष 14, शक 1931

गृह विभाग
(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

क्र. एफ-31-5-1998-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिये लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिये सक्रिय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, सीहोर की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, सीहोर यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबोधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 जनवरी 2010 से 31 मार्च 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

पृ. क्र. एफ-31-5-1998-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. एफ 31-5-1998-सी-1, भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

ORDER

Bhopal, the 4th January 2010

F. No. 31-5-1998-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and to commit acts prejudicial to the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Sehore** the State Government is satisfied that it is necessary so to do;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Sehore** may during the period from 1st January, 2010 to 31st March 2010 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 जनवरी 2010—पौष 14, शक 1931

गृह विभाग
(सी-अनुभाग)
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

क्र. एफ-31-5-1998-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिये लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिये सक्रिय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, सागर की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, सागर यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 जनवरी 2010 से 31 मार्च 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

पृ. क्र. एफ-31-5-1998-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. एफ-31-5-1998-सी-1, भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

ORDER

Bhopal, the 4th January 2010

F. No. 31-5-1998-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and to commit acts prejudicial to the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, Sagar the State Government is satisfied that it is necessary so to do;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, Sagar may during the period from 1st January, 2010 to 31st March 2010 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 जनवरी 2010—पौष 14, शक 1931

गृह विभाग
(सी-अनुभाग)
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
आदेश

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

क्र. एफ-31-5-1998-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिये लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिये सक्रिय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, सतना की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, सतना यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 जनवरी 2010 से 31 मार्च 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

पृ. क्र. एफ-31-5-1998-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. एफ-31-5-1998-सी-1, भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

ORDER

Bhopal, the 4th January 2010

F. No. 31-5-1998-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and to commit acts prejudicial to the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Satna** the State Government is satisfied that it is necessary so to do;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Satna** may during the period from 1st January, 2010 to 31st March 2010 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 जनवरी 2010—पौष 14, शक 1931

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

क्र. एफ-31-5-1998-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिये लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिये सक्रिय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, सीधी की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, सीधी यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 जनवरी 2010 से 31 मार्च 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

पृ. क्र. एफ-31-5-1998-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. एफ-31-5-1998-सी-1, भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

ORDER

Bhopal, the 4th January 2010

F. No. 31-5-1998-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and to commit acts prejudicial to the security of the State;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Sidhi** the State Government is satisfied that it is necessary so to do;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Sidhi** may during the period from 1st January, 2010 to 31st March 2010 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 जनवरी 2010—पौष 14, शक 1931

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

क्र. एफ-31-5-1998-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिये लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिये सक्रिय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, सिंगरौली की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, सिंगरौली यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 जनवरी 2010 से 31 मार्च 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

पृ. क्र. एफ-31-5-1998-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. एफ-31-5-1998-सी-1, भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

ORDER

Bhopal, the 4th January 2010

F. No. 31-5-1998-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and to commit acts prejudicial to the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Singrauli** the State Government is satisfied that it is necessary so to do;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Singrauli** may during the period from 1st January, 2010 to 31st March 2010 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 जनवरी 2010—पौष 14, शक 1931

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

क्र. एफ-31-5-1998-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिये लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिये सक्रिय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, शहडोल की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, शहडोल यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 जनवरी 2010 से 31 मार्च 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

पृ. क्र. एफ-31-5-1998-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. एफ-31-5-1998-सी-1, भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

ORDER

Bhopal, the 4th January 2010

F. No. 31-5-1998-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and to commit acts prejudicial to the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Shahdol** the State Government is satisfied that it is necessary so to do;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Shahdol** may during the period from 1st January, 2010 to 31st March 2010 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 जनवरी 2010—पौष 14, शक 1931

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

क्र. एफ-31-5-1998-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिये लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिये सक्रिय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, शाजापुर की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, शाजापुर यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 जनवरी 2010 से 31 मार्च 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

पृ. क्र. एफ-31-5-1998-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. एफ-31-5-1998-सी-1, भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

ORDER

Bhopal, the 4th January 2010

F. No. 31-5-1998-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and to commit acts prejudicial to the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Shajapur** the State Government is satisfied that it is necessary so to do ;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Shajapur** may during the period from 1st January, 2010 to 31st March 2010 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 जनवरी 2010—पौष 14, शक 1931

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल मिलाप को संकट में डालने के लिये लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिये सक्रिय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, शिवपुरी की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, शिवपुरी यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 जनवरी 2010 से 31 मार्च 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

पू. क्र. एफ-31-5-1998-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. एफ-31-5-1998-सी-1, भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

ORDER

Bhopal, the 4th January 2010

F. No. 31-5-1998-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and to commit acts prejudicial to the security of the State;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Shivpuri** the State Government is satisfied that it is necessary so to do;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Shivpuri** may during the period from 1st January, 2010 to 31st March 2010 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 जनवरी 2010—पौष 14, शक 1931

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

क्र. एफ-31-5-1998-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिये लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिये सक्रिय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, सिवनी की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, सिवनी यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 जनवरी 2010 से 31 मार्च 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

पृ. क्र. एफ-31-5-1998-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. एफ-31-5-1998-सी-1, भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

ORDER

Bhopal, the 4th January 2010

F. No. 31-5-1998-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and to commit acts prejudicial to the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Seoni** the State Government is satisfied that it is necessary so to do;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Seoni** may during the period from 1st January, 2010 to 31st March 2010 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 जनवरी 2010—पौष 14, शक 1931

गृह विभाग
(सी-अनुभाग)
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिये लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिये सक्रिय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, **श्योपुर** की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, **श्योपुर** यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 जनवरी 2010 से 31 मार्च 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

पृ. क्र. एफ-31-5-1998-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. एफ-31-5-1998-सी-1, भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

ORDER

Bhopal, the 4th January 2010

F. No. 31-5-1998-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and to commit acts prejudicial to the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Sheopur** the State Government is satisfied that it is necessary so to do;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Sheopur** may during the period from 1st January, 2010 to 31st March 2010 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्रा

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 जनवरी 2010—पौष 14, शक 1931

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिये लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिये सक्रिय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, टीकमगढ़ की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, टीकमगढ़ यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 जनवरी 2010 से 31 मार्च 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

पृ. क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1, भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

ORDER

Bhopal, the 4th January 2010

F. No. 31-5-1998-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and to commit acts prejudicial to the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Tikamgarh** the State Government is satisfied that it is necessary so to do;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Tikamgarh** may during the period from 1st January, 2010 to 31st March 2010 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 53]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 जनवरी 2010—पौष 14, शक 1931

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिये लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिये सक्रिय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, उज्जैन की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, उज्जैन यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबोधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 जनवरी 2010 से 31 मार्च 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

पृ. क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1, भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

ORDER

Bhopal, the 4th January 2010

F. No. 31-5-1998-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and to commit acts prejudicial to the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Ujjain** the State Government is satisfied that it is necessary so to do;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Ujjain** may during the period from 1st January, 2010 to 31st March 2010 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 54]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 जनवरी 2010—पौष 14, शक 1931

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिये लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिये सक्रिय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, उमरिया की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, उमरिया यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 जनवरी 2010 से 31 मार्च 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

पृ. क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1, भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

ORDER

Bhopal, the 4th January 2010


F. No. 31-5-1998-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and to commit acts prejudicial to the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Umaria** the State Government is satisfied that it is necessary so to do;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Umaria** may during the period from 1st January, 2010 to 31st March 2010 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 55]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 जनवरी 2010—पौष 14, शक 1931

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिये लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिये सक्रिय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, इंदौर की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, इंदौर यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 जनवरी 2010 से 31 मार्च 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

पृ. क्र. एफ. 31-5-1998-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. एफ. 31-5-1998 सी-1, भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

ORDER

Bhopal, the 4th January 2010

F. No. 31-5-1998-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and to commit acts prejudicial to the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Indore** the State Government is satisfied that it is necessary so to do;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Indore** may during the period from 1st January, 2010 to 31st March 2010 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 56]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 जनवरी 2010—पौष 14, शक 1931

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

क्र. एफ-31-5-1998-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिये लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिये सक्रिय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, विदिशा की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, विदिशा यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 जनवरी 2010 से 31 मार्च 2010 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

पृ. क्र. एफ-31-5-1998-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. एफ-31-5-1998-सी-1, भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

ORDER

Bhopal, the 4th January 2010

F. No. 31-5-1998-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and to commit acts prejudicial to the security of the State ;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Vidisha** the State Government is satisfied that it is necessary so to do;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Vidisha** may during the period from 1st January, 2010 to 31st March 2010 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.